अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोष सिद्ध, 20 वर्ष का कारावास

श्रावस्ती,संवाददाता। एक किशोर अपचारी को बाल न्यायालय ने 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकान्त त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी महिला ने थाना कोतवाली भिनगा में सात जून 2023 को शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि उसके 10 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्र कस्बा निवासी बाल अपचारी ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र बाल अपचारी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेजा था। जिसका विचारण कर अपर सत्र न्यायाधीश बाल न्यायालय व विशेष न्यायाधीश ने बाल अपचारी को दोषसिद्ध कर दिया और दण्डित किया। इसके तहत बाल अपचारी को 20 वर्ष कारावास की सजा तथा 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

एसएसबी ने 900 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

भिनगा/श्रावस्ती, 07 मई, (तरुणमित्र)। 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भिनगा की 'ई' समवाय ककरदरी के जवानो ने नेपाल से भारत मे 900 ग्राम चरस की तस्करी कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर समवाय प्रभारी के. एच. नाबाचंद्र सिंह (सहायक कमांडेंट) के नेतृत्व में 04 जवानों की टीम एवं थाना मल्हीपुर से उप निरीक्षक सतीश चंद्र मिश्रा के साथ 02 पुलिस कर्मियों की टीम द्वारा जगपति मंदिर के पास ककरदरी मार्ग पर स्तम्भ संख्या 640 से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रात्रि नाका लगाया गया। नाका के दौरान नेपाल से भारत की ओर आने वाले एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 900 ग्राम चरस बरामद की गई, पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम अरविंद सिंह पुत्र उत्तम सिंह ग्राम मनकवरा परसौना थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती (उ.प्र.) बताया, मौके पर ही उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर चरस को जब्त कर लिया गया। कागजी कार्यवाही पूर्ण करने के बाद जब्त चरस एवं गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना मल्हीपुर को सुपुर्द कर दिया गया, 62वीं वाहिनी एसएसबी के जवान भारत-नेपाल सीमा पर नशीले पदार्थों